न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

ना–पत्र सं.	धाराअंतर्गत	ग्राम	तहसील
26/24	136 LR Act	नारेडा	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जाकिर उर्फ जाकिर हुसैन	बनाम	राजस्थान सरकार

वकील :– श्री फिरोज खान एड0 **आदेश पत्रक** वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
02.12.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 05/02/25 को पेश हो।	
5-2-25	पीठासीन अधिकारी [अवकाश] में रहने से पूर्ववत दिनांक 28-3-25 को प्रस्तुत हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी बारां	
28-3-25	पीठासीन अधिकारी [अन्य कार्य] में व्यस्त रहने से पूर्ववत दिनांक 5-6-25 को प्रस्तुत हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी बारां	
01/4/25	पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई हेतु पेश करने पर तलब की गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि उक्त प्रकरण में सभी तारीख हो चुकी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जावे पत्रावली दिनांक 09/5/25 को पेश हो।	
09/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. तहसीलदार बारां से रिपोर्ट प्राप्त। शा0 अ0 रहे। बहस प्रार्थी एक पक्षीय सुनी एवं पैरो सुनी समझाई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/5/25 को पेश हो।	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
10/5/25	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के आज पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उप०। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। आदेश उपखण्ड अधिकारी बाराँ अध्यक्ष सदस्य सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराँ (राज.)

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 26/24
दायरा दिनांक :– 02.12.2024
निर्णय दिनांक :– 10/5/2025

उनवान

1. जाकिर उर्फ जाकिर हुसैन आयु 43 साल पुत्र श्री मुनीरखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम मण्डोला तहसील बारां जिला बारां हाल चंबल गार्डन रोड संजय बस्ती कोटा जिला बारां राज0 प्रार्थी–

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0) अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट
निर्णय दिनांक :– 10/5/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री फिरोज खान एडवोकेट – प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार – अप्रार्थी

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम नारेडा तहसील बारां में खाता संख्या नया 38 पुराना 39 में खसरा नं0 50 रकबा 0.03 हे0 स्थित है। जिसमें वादी का 1/16 हिस्सा निहित है। राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने त्रुटिवश एवं अवधानता बरतते हुए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072 सें 75 में जाकिर हुसैन के स्थान पर जाकिर अंकित कर दिया है जबकि वादी का वास्तविक नाम जाकिर हुसैन है जबकि उसके आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम जाकिर हुसैन है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जाकिर हुसैन के स्थान पर जाकिर दर्ज हो जाने से उसे अपने हिस्से की भूमि पर ऋण प्राप्त करने एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार की अनुदानित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रिकार्ड में अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि को सुधारते हुए उसका नाम जाकिर के स्थान पर जाकिर हुसैन करने का अनुरोध किया परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। जिससे वादी के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस कारण वादी राजस्व रिकार्ड में कई त्रुटि को दुरूस्त कराकर अपना नाम जाकिर के स्थान पर जाकिर हुसैन करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है इसी निमित्त यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस वाद को पेश करने का वाद कारण राजस्व कर्मचारियों से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने एवं उनके द्वारा कोई ध्यान न देने पर अंतिम बार दिनांक 21.11.2024 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर बमुकाम बारां

अध्यक्ष सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बाराँ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

...न्न हुआ। न्यायालय श्रीमान को वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकर फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड सम्वत 2072–75 में वादी का नाम जाकिर के स्थान पर जाकिर हुसैन दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नारेडा सम्वत 2072–75 खाता संख्या नया 38, पुराना खाता संख्या 39, खसरा संख्या 50, वारिस प्रमाण पत्र का शपथ पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थी का कथन है कि ग्राम नारेडा तहसील बारां में खाता संख्या नया 38 पुराना 39 में खसरा नं0 50 रकबा 0.03 हे0 स्थित है। जिसमें वादी का 1/16 हिस्सा निहित है। राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने त्रुटिवश एवं अवधानता बरतते हुए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072 सें 75 में जाकिर हुसैन के स्थान पर जाकिर अंकित कर दिया है जबकि वादी का वास्तविक नाम जाकिर हुसैन है जबकि उसके आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम जाकिर हुसैन है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जाकिर हुसैन के स्थान पर जाकिर दर्ज हो जाने से उसे अपने हिस्से की भूमि पर ऋण प्राप्त करने एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार की अनुदानित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। जिससे वादी के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस कारण वादी राजस्व रिकार्ड में कई त्रुटि को दुरूस्त कराकर अपना नाम जाकिर के स्थान पर जाकिर हुसैन करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है इस वाद को पेश करने का वाद कारण राजस्व कर्मचारियों से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने एवं उनके द्वारा कोई ध्यान न देने पर अंतिम बार दिनांक 21.11.2024 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर बमुकाम बारां उत्पन्न हुआ। वादी का वाद स्वीकर फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड सम्वत 2072–75 में वादी का नाम जाकिर के स्थान पर जाकिर हुसैन दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नारेडा सम्वत 2072–75 खाता संख्या नया 38, पुराना खाता संख्या 39, खसरा संख्या 50, प्रार्थी के खाते में दर्ज है। तहसीलदार बारां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नारेड़ा की जांच रिपोर्ट से जाकिर एवं जाकिर हुसैन जाति मुसलमान निवासी मण्डोला का एक ही व्यक्ति होना पाया गया। प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, में सही नाम जाकिर हुसैन है जबकि राजस्व रिकार्ड में जाकिर दर्ज है। अतः ग्राम नारेडा की खाता संख्या नया 38 पुराना 39 खसरा नं0 50 पर दर्ज खातेदार जाकिर पुत्र मुनीर खान के स्थान पर जाकिर हुसैन पुत्र मुनीर खान तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

अध्यक्ष

सदस्य सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत

जि... ...रण

बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

बारां

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम नारेडा की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 38, पुराना खाता संख्या 39, खसरा संख्या 50, ग्राम नारेडा तहसील व जिला बारां की आराजियात में प्रार्थी का नाम जाकिर पुत्र मुनीर खान के स्थान पर जाकिर हुसैन पुत्र मुनीर खान दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अध्यक्ष

सदस्य सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

बारां (राज.)

(बनवारी लाल बैरवा)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी बारां